

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (पुलिस) अनुचान-2

संख्या: 1535/छ-पु0-2-2009-1100(63)/09

लेखनका: दिनांक 28 अगस्त, 2009

### आधिसूचना

#### प्रकीर्ण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) को धारा 2 और धारा 16 की अधारा (१) और (३) के अधीन शवित और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शोषितयों का प्रयोग करके तथा इस नियमला जारी समर्त विधगान नियमों का अधिकारण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस में राष्ट्रीय “घ” के कानूनी शैणियों की भती और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यवितयों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियमान्वित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश पुलिस समूह ‘घ’ कर्मचारी सेवा नियमावली, 2009

#### भाग-एक-शासन

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-

1. (1)यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस समूह ‘घ’ कर्मचारी सेवा नियमावली, 2009 कही जायेगी।

(2)यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

इस नियमावली का लागू होना:-

2. यह नियमावली नियम-5 में निर्दिष्ट समूह ‘घ’ के समर्त पदों और नियम 3 के खण्ड (ज्ञ) में यथा परिभाषित समस्त अधीनस्थ सेवाओं पर लागू होगी।

परिभाषायो:-

3. जब तक संदेश से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) “नियुक्त प्राधिकारी” का तात्पर्य समूह ‘घ’ के पदों के राजन्य में:-

(एक) जिला पुलिस के लिए-प्रभारी जिला पुलिस अधीक्षक।

(दो) आपरा वाहिनियों के लिए-सेनानायक।

(तीन) यूनिट के लिए- पुलिस अधीक्षक प्रभारी यूनिट अधिक्षाल।

(च) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यवित से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये।

- (ग) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है।
- (घ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।
- (इ.) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।
- (च) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य पुलिस गहानिवेशक/पुलिस गहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से है।
- (छ) "सेवा का रावण्य" का तात्पर्य सेवा के संबंध में किसी पद पर इस नियमावली के प्रवृत्ति होने के पूर्व या प्रचलित नियमों या आदेशों के उपर्यन्थों के अधीन गौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।
- (ज) "पुलिस मुख्यालय" का तात्पर्य गुरुभ्यालय, पुलिस महानिवेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है।
- (झ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस रामूँह 'घ' सेवा से है।
- (ञ) "चयन समिति" का तात्पर्य के सेवा में पद पर नियुक्ति के लिये अधिकारीयों के चयन हेतु नियम के अन्तर्गत गठित चयन समिति से है।
- (ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संबंध में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्त्वानुरूप विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।
- (ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य उस कैलेण्डर वर्ष से है जिसमें भर्ती की जाय।
- (ड) 'इकाई' का तात्पर्य पुलिस संगठन की विभिन्न शाखाओं यथा आपाठ अनुसंधान विभाग, एन्टीटेरिस्ट स्क्यायड, स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम, अभिसूचना, सुरक्षा एन्टीकरेप्शन आर्गेनाइजेशन आदि से है।

### भाग-दो-संबंध

सेवा का संबंध:-

4-(1) प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी शारान द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिवत पद को बिना भरे हुये छोड़ व्यक्ति प्रतिकार का हकदार न होगा।

(2) सेवा की सदरय संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्न प्रकार होगी, जब तक की उप नियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने वाला आदेश पारित न हो।

क्रांक	पद का नाम	पदों की संख्या
1	फालोवर/कुक/कहार	7887
2	दफ्तरी	118

3	धोबी	554
4	माली	98
5	बारबर	305
6	अर्दली चपरारी	2020
7	सफाई कार्फ्टारी	1386
8	भिश्ती	10
9	वाटर मैन	157
10	चौकीदार	44
11	संदेश वाहक	674
12	मोची	117
13	श्रमिक	15
14	पोर्टर	05
15	सईस	45
16	ग्रास कटर	28
17	ग्राउन्डमैन	10
18	बुक बाइन्डर	02
19	नाविक / मल्लाह	06
20	कापिर्ट	17
21	बण्डल लिफ्टर	04
22	हास्टल अटेन्डेंट	06
23	हाउस वियरर	1
24	टबुल वियरर	04

### भाग-तीन- भर्ती

मर्ती स्रोत	का	८.	समूह "घ" सेवा के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-
	(क)		अर्दली प्यून, फालोआर, कुक, कहार, नाई, धोबी, मोची, सईस, संदेश वाहक, चौकीदार, माली, ग्राउन्डमैन, फराश, सफाईकारी, भिश्ती, मल्लाह, ग्रासकटर, वाटरमैन, पोर्टर, बण्डल लिफ्टर, हास्टल अटेन्डेंट, हाउस एवं टेबिल वियरर, और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद।

(ख)	हेड प्यून	स्थायी प्यून /चौकीदार/श्रमिक, पोर्टर/हाउस वियरर/टेबुल वियरर में से पदोन्नति द्वारा
(ग)	हेड फालोअर/कुक/कहार	स्थायी कुक/कहार में से पदोन्नति द्वारा
(घ.)	दफ्तरी/जिल्डसाज/साइक्लोस्टाइल आपरेटर	अर्ह प्यून/सर्वेशवाहकों/फरांश बण्डल लिफ्टर में से पदोन्नति द्वारा, स्थायी फरांश/होस्टल अटैन्डेन्ट में से पदोन्नति द्वारा,
(ङ.)	हेड फरांश	स्थायी सफाईकर्मी/भिस्टी में से पदोन्नति द्वारा,
(च)	मुख्य सफाईकर्मी	स्थायी सफाईकर्मी/भिस्टी में से पदोन्नति द्वारा,
(छ)	प्रधान माली	स्थायी माली/ग्रास कटर/ग्राउण्डमैन में से पदोन्नति द्वारा,
(ज)	प्रधान धोबी	स्थायी धोबी में से पदोन्नति द्वारा
(झ)	प्रधान नाई	स्थायी नाई में से पदोन्नति द्वारा
(ञ)	प्रधान मोची	स्थायी मोचियों में से पदोन्नति द्वारा
(ट)	प्रधान वाटर मैन	स्थायी वाटरमैनों में से पदोन्नति द्वारा
(ठ)	प्रधान साइस	स्थायी साइसों में से पदोन्नति द्वारा
(ड)	प्रधान नाविक	स्थायी नाविकों में से पदोन्नति द्वारा

### भाग-चार- अर्हता

आरक्षण

राष्ट्रीयता

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अध्यर्थियों के लिए आरक्षण तत्समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।
7. सेवा में किसी भी श्रेणी के पव पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अध्यर्थी-भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
- (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्री लंका या किसी पूर्वी अफ़्रीकी देश-केन्या, युगांडा और युनाइटेड रिपब्लिक आफ तजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रवासन किया हो:
- परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) (ग) का अध्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है:
- परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अध्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी, कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले:
- परन्तु यह भी कि यदि कोई अध्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र

एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

**टिप्पणी:-** ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

आयु

8. सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 30 वर्ष से अधिक की आयु न प्राप्त की जाएँ।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की रिधति में उच्चतर आयुसीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

शैक्षिक अर्हतायें

- 9(1) नियम 5 (क) में उल्लिखित किसी पद पर भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने कम से कम कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(2) कोई व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी के किसी पद पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब उसे विभागीय एवं पुलिस बल की आवश्यकताओं के दृष्टिगत उस पद के कार्य का अपेक्षित ज्ञान एवं समुचित अनुभव हो।

(3) कोई व्यक्ति साईबलोस्टाइल आपरेटर के रूप में या किसी अन्य पद पर जिसके लिए तकनीकी ज्ञान अपेक्षित हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य के संबंध में समुचित अनुभव न हो।

(4) सेवा में प्रत्येक श्रेणी के पद पर यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो।

(5) अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

भूतपूर्व सैनिकों  
एवं अन्य श्रेणी  
के संबंध में  
शिथिलता  
चरित्र

10. भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैन्य कार्मिकों, युद्ध के दौरान शहीद हुए सैन्य कार्मिकों के आश्रितों, सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों और खिलाड़ियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हता और भर्ती के लिए प्रक्रिया संबंधी अपेक्षा में शिथिलता भर्ती के समय इस सरकार के समान्य नियमों या आदेशों के अनुसार प्रदान की जायेगी।

11. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में अपना समाधान कर लें।

**टिप्पणी:-** राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति

## वैचाहिक प्रास्तिक

## शारीरिक स्वस्थता

## चयन समिति का गठन

अधिष्ठान में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझे जायेंगे। नीतिक अधागता के किसी अपराध के लिए दोषसिख्य व्यवित भी पात्र नहीं होगा।

अधिष्ठान में नियुक्ति के लिए ऐसा कोई पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक रौप्यिक पत्तियां जीवित हों, और ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहली से कोई पत्ती जीवित हो:

परन्तु राज्यपाल इस नियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकते हैं, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का वक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को रीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्सियल हैंडबुक, खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

## भाग-पांच- भर्ती की प्रक्रिया

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए चयन समिति का गठित निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:-

### जिला के लिए

(एक) प्रभारी जिला पुलिस अधीक्षक - अध्यक्ष  
 (दो) प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक स्थापना प्रभारी - राज्य सचिव  
 (तीन) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुरूप जन जातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा - राज्य

(चार) यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो अन्य पिछड़े वर्गों के किसी अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों से भिन्न कोई अधिकारी, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। - सदरय

### प्रान्तीय आर्म्ड कांस्टेबलरी के लिए

(एक) बटालियन कमाण्डेण्ट - अध्यक्ष  
 (दो) सहायक कमाण्डेण्ट स्थापना प्रभारी - सदरय सचिव  
 (तीन) यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट बटालियन मुख्यालय के अनुसूचित जातियों या

प्रतिवर्ष की जाने वाली भर्ती

15

अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी। यदि अध्यक्ष अनुरूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का हो तो बटालियन गुरुख्यालय के अनुरूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी, जिसे जिमजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्विष्ट किया जायेगा। - सदस्य

(चार) यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो बटालियन गुरुख्यालय के अपिछड़े वर्गों के किसी अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्विष्ट किया जायेगा। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो बटालियन गुरुख्यालय के अपिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुरूचित जनजातियों से भिन्न एक अधिकारी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्विष्ट किया जायेगा। - सदस्य

(3)

यूनिट के लिए

(एक) पुलिस अधीक्षक स्थापना प्रभारी - अध्यक्ष

(दो) उप पुलिस अधीक्षक स्थापना प्रभारी - सदस्य राचिव

(तीन) यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुरूचित जनजातियों का न हो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्विष्ट यूनिट मुख्यालय के अनुरूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का हो तो यूनिट मुख्यालय के अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी, जिसे जिमजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्विष्ट किया जायेगा। - सदस्य

(चार) यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो यूनिट मुख्यालय के अपिछड़े वर्गों के किसी अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्विष्ट किया जायेगा। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो यूनिट मुख्यालय के अपिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुरूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्विष्ट किया जायेगा। - सदस्य

(1) रिवितयों के विद्यमान रहते हुए इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिए चयन, समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के लिए किसी एक भर्ती वर्ष के अंतर्गत एक बार किया जायेगा।

(1) जिला या बटालियन या यूनिट कार्यालय का प्रथम भर्ती के वर्ष के दौरा भरी जाने वाली रिवितयों की संख्या का अवधारण करेगा और उसकी सूचन समिति के अध्यक्ष को देगा। यह विनिर्विष्ट किया जायेगा कि अनुरूचि जाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के साम्यविधि हेतु कितनी रिवितयों आरक्षित न जायेगी जिनके लिए सामय-सामय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आरक्ष किया जाना अपेक्षित हो।

(2) रिवितयों की सूचना उप नियम (1) के अधीन प्रति वर्ष जुलाई माह में जायेगी: परन्तु जहाँ चयन समिति रिवितयों की सूचना वर्ष के किसी अन्य माह दिये जाने की अपेक्षा करे वहाँ राहना तदनुसार प्रोष्ठित की जायेगी।

रिवितयों को अवधारणा

16

## रिक्त की अधिसूचना

### भर्ती की प्रक्रिया

### सामान्य सूची

### पदोन्नति की प्रक्रिया

17	<p>(1) जब रिक्तियों की सूचना प्राप्त कर ली जायेगी तक उत्तर रिक्तियों की औपचारिक अधिसूचना निम्नलिखित रीति से की जायेगी -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) व्यापक प्रसार वाले दैनिक यांगाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके।</li> <li>(2) कार्यालय के गृहना पट पर यूनना विफ्का कर या आकाशश्वाणी/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करके और</li> <li>(3) रोजगार कार्यालय द्वेषु रिक्तियों उपर्युक्त करके।</li> </ul>
18	<p>(1) (एक) जब वौनों ही सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों, जिनके लिए रिक्तियों शासनादेशों के अधीन आरक्षित की जानी अपेक्षित हो, के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त कर लिये जायेंगे तब वह अभ्यर्थियों की दस्ता का गूल्यांकन करने द्वेषु संगत व्यवसाय के निम्नित परीक्षा आयोजित करेगी, परीक्षा द्वेषु अधिकतम अंक 90 होगे।</p> <p>(दो) परीक्षा की पद्धति और मानदण्ड वही होगे जैसे चयन समिति द्वारा अवधारित किये जायें।</p> <p>(तीन) चयन समिति विभिन्न पदों हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी लेगी। साक्षात्कार हेतु कुल अंक 10 होगे।</p> <p>(2) चयनित नियै जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, नयनित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या रो अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।</p> <p>(3) चयन सूची में नामों को परीक्षा, साक्षात्कार और वरिष्ठता, यदि लागू हो, में दिये गये अंकों के आधार पर रखा जायेगा।</p> <p>(4) करगशः सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों की चयन सूचियों की दो परियों तैयार की जायेगी। एक परिय चयन समिति के सदिक वे कार्यालय में रहेंगी और अन्य प्रति चयन समिति के अध्यक्ष को प्रेषित कर दी जायेगी।</p> <p>जब वौनों सामान्य और आरक्षित वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों के नाम किसी विशेष कार्यालय में प्राप्त कर लिये जायें तब उन नामों को सामान्य सूची में रखा जायेगा। प्रथम नाम सामान्य अभ्यर्थियों की सूची से होगा तत्पश्चात आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची से होगा और इसी पकार लागे भी होगा।</p>
19	<p>(1) रामस्त पदों के संबंध में पदोन्नति का पानदण्ड अनुयुक्त को लार्वीकार करते हुए जोड़ता होगा।</p> <p>(2) किसी अभ्यर्थी को सौलष्ट वर्ष की गतीयजनन सेवा पूर्ण करने के पश्चात ही पदोन्नति हेतु उपयुक्त माना जायेगा।</p> <p>(3) नियम 14 के उप नियम(1),(2) और (3) में यथा गठित चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों के नाम से उसी व्यापका के अंतर्गत पदोन्नति की जायेगी।</p>
20	

## भाग-छह - नियुक्ती, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

		(1) गौलिक रिक्तियों के उत्पन्न होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, शियग 19 या 20 अधीन तैयार की गयी अध्यार्थियों की सूची में हो, उनके नाम तरा कम में लेकर जैसा। सामान्य सूची में आये हों, नियुक्तियों करेगा।
		(2) नियुक्ति प्राधिकारी स्थानापन्न और उत्थाई रिक्तियों में भी उन्हें सूची में से उन उपनियग (1) में निर्दिष्ट रीति में नियुक्तियों करेगा।
		(3) किसी विशेष जिले या प्रीएसी बटालियन या डिवाइड के लिए किरी पद पर नियुक्त व्यविधियों के अधीन शारान के पूर्वानुभोदन से स्थानान्तरण किया जा सकता है।
प्रशिक्षण	22	(1) रसोइया (कुक) के पद पर नियुक्त प्रत्येक गांगर्झी को पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय से प्राप्त पुलिस प्रशिक्षण संस्थान से 15 दिन की अवधि के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक है।
		(2) प्रत्येक रसोइये को 3 वर्षों के प्रत्येक अंतराल पर पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय से गांगर्झी प्राप्त किसी प्रशिक्षण संस्थान से शासकीय व्यवस्था पर 15 दिनों का पाक कला (कूकिंग) व उनश्चयी पाठ्यकाग्रह अवश्य पूरा करना होगा।
		(3) सेवा में रानी जन्य कर्मचारियों को (रानाई कर्मचारी से बिना) पुलिस विभाग के आवश्यकतानुसार पाक कला, ड्रेरा गेनटेनेस और जन्य सुरांगत विषयों में या विभागान्तर्मध्ये द्वारा यथा विनिश्चित रूप से, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण राम्भाओं से 15 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।
परिवीक्षा	23	(1) सेवा में किसी पद पर गौलिक रूप से नियुक्त विभीति व्यवित को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
		परन्तु स्थापना में किसी पद पर स्थानापन्न या उत्थाई रूप से की गई नियंत्रण के लिए परिवीक्षा की अवधि की संगणना करने के परिणामात् यह जा सकती है।
		परन्तु यह और कि नियुक्ति अधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग अलग गामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक के लिए अवधि बढ़ाई गयी है :
		परन्तु यह भी कि परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।
स्थायीकरण	24	(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान यिरी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यवित ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में भयान्कर रुप है तो उसके गौलिक पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यान्तरित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी रोगानी सामाजिक की जा सकती है जिसके लिए यह द्वेषों द्वारा स्थितियों में विभीति प्रतिकर का हककार नहीं होगा।
		किसी परिवीक्षाधीन व्यवित को, यथारिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अंत में स्थाई कर दिया जायेगा यदि उसका कार्य और आवश्यक संतोषजनक पाया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझता है और उसको उत्पन्नता प्राप्तिष्ठित कर दी जाती है।

## ज्यैष्ठता

25

(1) इसमें इसके पश्चात् उपर्युक्ति के सिवाय किरी श्रौणी के पत में लावितयों की ज्यैष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अवधारित की जायेगी और यदि दो या तीन भिन्न व्यक्ति एक साथ नियुक्त हों तो उस कम्प में जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में व्यवस्थित किये गये हैं :

परन्तु यह कि यदि किसी नियुक्ति आदेश गे कोई विशेष गिछला दिनांक विभिन्नहैस्ट किया गया है जिस दिनांक से वह व्यवित मौलिक रूप से नियुक्त हुआ है तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में, वह आदेश के निर्णय किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामरूप सीधे नियुक्त लावितयों की पारस्परिक ज्यैष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जाये :

परन्तु यह कि सीधे नियुक्ति कोई अभ्यार्थी अपनी ज्यैष्ठता खो राकता है यदि उसको रिवित प्रस्तावित किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यालय ग्रहण करने में विषय रहता है। कारणों की विधिमान्यता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यवितयों की पारस्परिक ज्यैष्ठता वही होगी जैसी उस रात्रि में थी जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया हो।

## भाग-सात-वेतन इत्याति

### वेतनमान

26

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या रणनीतिक रूप में हो, नियुक्त व्यवितयों को अनुमन्य वेतन-मान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय अनुमन्य वर्तमान वेतन मान निम्नवत है :-

	पद का नाम	वेतन रैंपड	पे रैंपड
(क)	अर्दली प्यून, फॉलोवर/कुक/कहार, नाई, धोबी, मोर्ची, सझेस, संदेश वाहक, चौकीदार, माली, ग्राउण्डमैन, फर्राश, सफाईकर्मी, भिश्टी, मल्लाह, गारकर, वाटरगैन, पोर्टर, बण्डल लिफ्टर, हास्टल अटेंडेंट, हाउरा एवं टेबिल वियरर और प्रत्येक अन्य ऐसे तकनीकी पद	1440-7440	1400
(ख)	हेड प्यून	1440-2440	1400
(ग)	हेड फॉलोवर/कुक/कहार	1440-7440	1400
(घ)	दफूतरी/जिल्वसाज/साइक्लोस्टाइल आपरेटर	1440-7440	1400
(इ.)	मुख्य फर्राश	1440-7440	1400
(च)	मुख्य सफाईकर्मी	1440-7440	1400
(छ)	प्रधान माली	1440-7440	1400
(ज)	प्रधान धोबी	1440-7440	1400
(झ)	प्रधान नाई	1440-7440	1400

(०)	प्रधान मोर्ची		१५४०-२५४०	१५००
(ट)	प्रधान वाटरमैन		१५४०-२५४०	१५००
(ठ)	प्रधान सहूरा		१५४०-२५४०	१५००
(ड)	प्रधान नविक		१५४०-२५४०	१५००
परिवीक्षा अवधि में वेतन	27	(1) सेवा गे नियमित नियुक्ति के विनाक्त से, समय रामय पर यथा रांशोधित नियम 26 के उप नियम (1) में यथा परिभाषित वेतनमान के अनुसार कोई व्यक्ति वेतन के लिए हकदा होगा। यदि (2) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा गे न हो रामय-मान गे उसकी प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद रोका पूरी कर ली हो और डिटॉग वेतन-वृद्धि तभी दी जायेग जब उसे स्थायी कर दिया गया हो। परन्तु यदि रांतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे। (3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सेवा में कोई पर धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुरांगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा। परन्तु यदि संतोष प्रदान कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे। (4) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि गे वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू गुणात नियमों द्वारा विनियमित होगा।	१५४०-२५४०	१५००
पक्ष समर्थन	28	सेवा में पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिपाहीरशों से गिन किन्हीं गन्य ग्राहकियों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किरी अधीक्षी गों ओं से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या उप्रत्यक्ष रूप से रामान् प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनहूं कर देगा।		
अन्य विषयों का नियमन	29	ऐसे विषयों के संबंध में जो विनियिक्षण रूप से इस नियमान्वयी या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के किसी कालांगों के संबंध में मेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमान्वयी गों ग्राहक आदेशों द्वारा शारिरा होंगे।		
सेवा की शर्तों में शिथिलता	30.	जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा गे नियमित व्यावेतानों को रोका जी शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किरी विनियिक्षण मापले में असाध्यक नहिनाइ होती है, वहाँ वह उस मापले में लागू नियमों में से किरी वात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस रीता तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें उस मापले में न्यायसंमत और साम्यपूर्ण रीति री कानूनीही करने के लिये असाध्यक सांझी, अधिगुरुता या शिथिल कर सकती है।		

31. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेग जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

२७.०८.५१  
(महेश कुमार गुप्ता)  
सचिव।